सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-04/2023 दिनांक- 04 -जनवरी- 2023

प्रेस विज्ञप्ति

थाना – रौनापार

किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना – दिनांक 17.12.22 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था। कि विपक्षी अतुल पुत्र संजय राम निवासी ग्राम पिहार थाना रौनापार आजमगढ़ ने वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 418/2022 धारा 363/366 भादवि0 थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ बनाम अतुल पुत्र संजय राम निवासी ग्राम पिहार थाना रौनापार आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान धारा 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोतरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण - आज दिनांक 04.01.23 को उ0नि0 उमाशंकर मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अतुल पुत्र संजय निवासी ग्राम पिहार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को ग्राम रोहुवार से समय करीब 9.30 बजे गिरफ्तार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग - मु0अ0सं0 418/2022 धारा 376/363/366 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त अतुल पुत्र संजय निवासी ग्राम पिहार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 उमाशंकर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
2. का0 अखिलेश पाण्डेय थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
3. का0 चन्दन गौड़ थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

प्रेस विज्ञप्ति

थाना जीयनपुर

किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण - दिनांक 02.1.2022 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादी की चचेरी पोती के साथ गांव के ही 01 व्यक्ति ने मार-पीट करके, जबरदस्ती दुष्कर्म किया गया और परिजनों से शिकायत करने पर उनके द्वारा गाली देते हुए धमकी दिया गया, जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0स0-009/2023 धारा 323,504,506 ,376 भादवि बनाम -1. राजनाथ उर्फ मेल्हू पुत्र त्रिपुरारी राजभर नि0ग्राम इसरहा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ 2. श्रीमती धानमति पत्नी हीरा राजभर नि0ग्राम इसरहा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ के विरुध पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण – दिनांक- 03/01/2023 को प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त राजनाथ उर्फ मेलहू पुत्र त्रिपुरारी राजभर निवासी इसरहा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ को आखेपुर यूनियन बैक के पास से समय करीब 17.35 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग – मु0अ0स0- 009/2023 धारा 323,504,506,376 भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ़ ।

आपराधिक इतिहास – मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त – राजनाथ उर्फ मेलहू पुत्र त्रिपुरारी राजभर निवासी इसरहा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय मय हमराह थाना जीयनपुर, आजमगढ़ ।

थाना- बिलरियागंज

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 04 अभियुक्त गिरफ्तार

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक- 31.12.2022 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 302/2022 धारा 3(1)उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम-1986 बनाम 1. प्रदीप यादव पुत्र रामबदन यादव सा0 शहाबुद्दीनपुर, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़, 2. छोटू सिंह उर्फ शिवम् सिंह पुत्र अरूण सिंह सा0 कोठिहार, थाना बिलरियागंज आजमगढ़, 3. वंशराज उर्फ बसयी यादव पुत्र छोटू यादव सा0 तुर्क पड़री, थाना बिलरियागंज आजमगढ़, 4. प्रहलाद यादव पुत्र शिवचन्द यादव सा0 शहाबुद्दीनपुर, थाना बिलरियागंज आजमगढ़, 5. राममिलन चौरसिया पुत्र सीताराम चौरसिया सा0 बरोही फत्तेहपुर, थाना बिलरियागंज आजमगढ़, 6. परशुराम यादव पुत्र बहादुर यादव सा0 शहाबुद्दीनपुर, थाना बिलरियागंज आजमगढ़, 7. जगदीप यादव पुत्र रामबदन यादव सा0 शहाबुद्दीनपुर, थाना बिलरियागंज आजमगढ़, 8. अखिलेश पासी पुत्र विशुनधारी पासी सा0 शहाबुद्दीनपुर, थाना बिलरियागंज आजमगढ़, 9. संदीप यादव पुत्र रामबदन यादव सा0 शहाबुद्दीनपुर, थाना बिलरियागंज आजमगढ़ पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरणः-

थानाध्यक्ष ब्रह्मदीन पाण्डेय थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ आज दिनांक 04.01.2022 को मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त (1) प्रहलाद यादव पुत्र शिवचन्द यादव (2) परशुराम यादव पुत्र बहादुर यादव (3) जगदीप यादव पुत्र रामबदन निवासी गण ग्राम शहाबुद्दीनपुर, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ (4) वंशराज उर्फ बसयी यादव पुत्र छोटू यादव निवासी ग्राम तुर्क पड़री थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को मधनापार तिराहे के पास से समय करीब 06.40 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

(1) प्रहलाद यादव पुत्र शिवचन्द यादव सा0 शहाबुद्दीनपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
(2) परशुराम यादव पुत्र बहादुर यादव सा0 शहाबुद्दीनपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
(3) जगदीप यादव पुत्र रामबदन निवासी शहाबुद्दीनपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
(4) वंशराज उर्फ बसयी यादव पुत्र छोटू यादव निवासी ग्राम तुर्क पड़री थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी स्थान

- मधनापार तिराहा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1. SO ब्रह्मदीन पाण्डेय मय हमराह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

थाना- कन्धरापुर

धोखाधड़ी में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण – वादी श्री महेन्द्र प्रताप यादव पुत्र अरविन्द यादव साकिन कुँवा देवचन्द पट्टी थाना कन्धरापुर, आजमगढ़ द्वारा दिनांक 20.12.2020 को मु0अ0स0- 179/20 धारा 419,420,467,468,471 भादवि व 71 आई.टी. एक्ट थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़ बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया था। विवेचना से मुकदमा उपरोक्त में दीपक कुमार पुत्र स्व0 नत्थी लाल निवासी स्थायी पता- नामनेर चौराहा कटियाना फाटक 2/50 रकाबगंज जनपद आगरा व अस्थाई पता- सेक्टर-08 आवास विकाश कालोनी थाना जगदीशपुर जनपद आगरा , भगवती हेयर सैलून गोविन्द नगर जनपद मथूरा का नाम प्रकाश मे आया जिसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है।

दि0- 03.01.2023 को निरीक्षक श्री मोहम्मद हन्जल अंसारी मय हमराह मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र स्व0 नत्थी लाल निवासी स्थायी पता- नामनेर चौराहा कटियाना फाटक 2/50 रकाबगंज जनपद आगरा व अस्थाई पता- सेक्टर-08 आवास विकाश कालोनी थाना जगदीशपुर जनपद आगरा को भगवती हेयर सैलून गोविन्द नगर जनपद मथूरा समय करीब 14.45 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया।

<u>गिफ्तार अभियुक्त</u>

1- दीपक कुमार पुत्र स्व0 नत्थी लाल निवासी स्थायी पता- नामनेर चौराहा कटियाना फाटक 2/50 रकाबगंज जनपद आगरा व अस्थाई पता- सेक्टर-08 आवास विकाश कालोनी थाना जगदीशपुर जनपद आगरा , भगवती हेयर सैलून गोविन्द नगर जनपद मथूरा

<u>पंजीकृत अभियोग-</u>

1- मु0अ0सं0 179/2020 धारा 419,420,467,468,471 भादवि व 71 आई.टी. एक्ट थाना कंधरापुर, आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

1. निरीक्षक श्री मोहम्मद हन्जल अंसारी(अपराध शाखा) मय हमराह थाना कंधरापुर, आजमगढ़।

थाना जहानागंज

किशोरी के साथ छेड़खानी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

थाना स्थानीय के वादी थाना जहानागंज, आजमगढ़ शिकायत किया कि दिनांक 02.01.2023 को विपक्षी दिनेश द्वारा वादी के भयैने उम्री 16 वर्ष को मशीन पर हाथ धोते छेड़खानी की गयी, के सम्बन्ध में मु0अ0स0 06/23 धारा 354, 452, 323 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम 1.दिनेश पुत्र चन्द्रिका, 2. राजेश पुत्र चन्द्रिका निवासी ग्राम असोना थाना जाहानगंज थाना जहानागंज आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:

विवेचना के क्रम में उ0नि0 योगेन्द्र कुमार मय हमराह को सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त दिनेश राजभर उपरोक्त को महुआ मुरारपुर बाजार से समय करीब 10.40 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग:-

1-मु0अ0स0 06/23 धारा 354, 452, 323 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1-दिनेश राजभर पुत्र चन्द्रिका राजभर ग्राम असोना थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण

1- उ0नि0 श्री योगेन्द्र कुमार मय हमराह थाना जहानागंज आजमगढ़

थाना- तरवां

हत्यारोपी का लिया गया पुलिस कस्टडी रिमाण्ड घटना में प्रयुक्त पिस्टल व कारतुस बरामद

1.पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)– दिनांक 18.12.2022 को श्री सचिन यादव पुत्र स्व0 शिवपुजन यादव सा0 बघरा थाना तरवां जनपद आजमगढ़ द्वारा तहरीर दी गयी कि अपने बड़े भाई रविशेष यादव के साथ गांव के बाहर स्थित खुद के विद्यालय से रात्रि करीब 8.40 बजे घर वापस आ रहा था कि उसी समय गांव के ही संचम यादव पुत्र रामप्रसाद यादव द्वारा फोन करके मेरे भाई रविशेष को गाली गलौज दिया गया तथा घर से थोडी दुर पहले पहुचने पर विपक्षी संचम यादव द्वारा पिस्टल निकालकर गोली मारकर भाई रविशेष यादव की हत्या कर दिये जाने तथा भागते समय स्वयं के पैर में गोली लग जाने के सन्दर्भ में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 350/2022 धारा 302/307/504/34 भादवि बनाम 1. संचम यादव 2. पंचम यादव पुत्रगण रामप्रसाद यादव 3. लालजी यादव पुत्र स्व0 मोती यादव 4. अरविन्द यादव पुत्र भोला यादव निवासीगण ग्राम बघरा थाना तरवां आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण - दिनांक- 22.12.22 को अभियुक्त संचम यादव पुत्र रामपसाद यादव 2. लालजी यादव पुत्र स्व0 मोती यादव 3. अरविन्द यादव पुत्र भोला यादव निवासीगण ग्राम बघरा थाना तरवां आजमगढ़ लगातार दविश तथा पुलिस कार्यवाही के दवाब के कारण माननीय न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिये माननीय न्यायालय के आदेश से आज दिनांक 04.01.23 को मुख्य अभियुक्त संचम यादव उपरोक्त को पुलिस कस्टडी रिमाण्ड में लेकर उसकी निशानदेहीह पर खरिहानी बाजार स्थित दुर्गा मन्दिर के पास झाड़ी में छिपाये गये घटना में प्रयुक्त हथियार (आलाकत्ल) एक अदद पिस्टल 32 बोर व 04 अदद जिन्दा कारतुस 32 बोर बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी कर अग्रेसर कार्यवाही की जा रही है।

3. पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- **350/2022 धारा 302/307/504/34 भादवि** बढ़ोतरी धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तरवां, आजमगढ़।

4. आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 380/17 धारा 392/393 भादवि थाना देवगांव आजमगढ़

2.मु0अ0सं0 641/16 धारा 395/397/412 भादवि थाना सरायलखंशी जनपद मऊ

3मु0अ0सं0 959/16 धारा 395/397/412 भादवि थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

4. मु0अ0सं0 3475/17 धारा 394/511 भादवि थाना कोतवाली गाजीपुर

5. मु0अ0सं0 3369/17 धारा 392/411 भादवि थाना कोताली गाजीपुर

6. मु0अ0सं0 350/22 धारा 302/307/504/34 भादवि थाना तरवां आजमगढ़

5. बरामदगी- 1 एक अदद पिस्टल 32 बोर व 04 अदद जिन्दा कारतुस 32 बोर बरामद।

थाना- मेंहनगर

गैंगेस्टर के वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

1. **पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-** अभि0 अमित कुमार उर्फ भैया लाल निषाद पुत्र रामबधाई उर्फ बैजू सा0 पटना थाना खानपुर जनपद गाजीपुर एक शातिर किस्म का अपराधी है जिसका एक सक्रिय गैग है जिसका मुखिया अमित कुमार उर्फ भैया लाल निषाद उपरोक्त स्वयं है। तथा इसके गैग के सदस्य किशोर कुमार पुत्र परशुराम प्रसाद सा0 बेलहाडीह (लोहासनपुरवा)थाना तरवा जनपद आजमगढ़ ,मनोज कुमार पुत्र हरिप्रसाद सा0 जमुखा थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़,पप्पू राजभर पुत्र झम्मन राजभर सा0 पिपरई थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर व रूदल राम पुत्र शिवमुनी राम सा0 हरिदासपुर काशी थाना, सादियाबाद जनपद गाजीपुर के साथ मिलकर अपने तथा गैग के साथियो के आर्थिक व भौतिक लाभ हेतु भारी मात्रा मे शराब की तस्करी करना उक्त गिरोह का यह कृत्य उ0प्र0 गिरोह बन्द अधि0 का धारा 2(ख)की उपधारा 01 व 02 मे आच्छादित है। गैग लीडर एवं इसके सदस्यो के विरूद्द थाना मेहनगर मे मु0अ0सं0 109/2019 धारा 60/72/63आबकारी अधि0 व 272/273 भा0द0वि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया जिसमे नामजद अभियुक्त है। जिससे साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त अमित कुमार उर्फ भैयालाल, किशोर कुमार, मनोज कुमार, पप्पू राजभर उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र सं0 12/2020 दि0 30-01-2020 को मा0 न्यायालय प्रेषित कियागया है एव अभियुक्त रुदल राम पुत्र शिवमुनी राम उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र सं0 A-12A/2022 दिनांक 07.10.22 को मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया है तथा थाना स्थानीय पर ही मु0अ0स0 109/2019 धारा 60/72/63 अबकारी अधि0व 272/273 भा0द0वि0 अभियोग पंजीकृत किया गया अभियुक्त उपरोक्तगण के पास से 110 बोतल अंग्रेजी हरियाणा निर्मित शराब व 03 जरिकैन मे 100 लीटर अपमिश्रित शराब वरामद हुआ।अभियुक्त गण के कृत्य से जनता मे भय एवं आतंक व्याप्त है जिनके विरुद्ध बाद अनुमोदित गैंग चार्ट मु.अ.सं. 395/22 धारा 3(1) उ0 प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ है।
2. **गिरफ्तारी की विवरण** – दिनांक- 04.01.2022 को थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह मय हमराह मय उ0नि0 शिव कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1.किशोर कुमार पुत्र परशुराम प्रसाद सा0 वेलहाडीह (लोहारपुर) थाना तरवाँ जनपद आजमगढ 2.मनोज कुमार पुत्र हरिप्रसाद सा0 जमुखा थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ को सिंहपुर कस्बा से समय 09.15 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।
3. **पंजीकृत अभियोग**- मु.अ.सं. 395/22 धारा 3(1) उ0 प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986
4. **आपराधिक इतिहास-** मु0अ0सं0 109/2019 धारा 60/72/63आबकारी अधि0 व 272/273 भा0द0वि0 थाना मेंहनगर, आजमगढ़
5. **गिरफ्तार अभियुक्त** –

   1.किशोर कुमार पुत्र परशुराम प्रसाद सा0 वेलहाडीह (लोहारपुर) थाना तरवाँ जनपद आजमगढ

   2.मनोज कुमार पुत्र हरिप्रसाद सा0 जमुखा थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ
6. **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-** थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह मय हमराह मय उ0नि0 शिव कुमार यादव मय हमराह थाना मेंहनगर, आजमगढ़।

थाना जहानागंज आजमगढ़

ग्राम बड़ौरा खुर्द में हुयी घटित घटना में 04 अभियुक्त गिरफ्तार, आला कत्ल बरामद

पूर्व की घटना-

थाना स्थानीय के वादी श्री राजेश कुमार पुत्र लालचन्द ग्राम बड़ौरा खुर्द पो0 बड़ौरा बुजुर्ग थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना जहानागंज थाने पर दिनांक 03.01.2023 को तहरीर दिया गया कि विपक्षियों द्वारा एक राय होकर लाठी डण्डे व धारदार हथियार से जान मारने की नियत से वादी मुकदमा के घर में घुसकर वादी मुकदमा व उसके परिवार के कौशिल्या, राकेश व बबिता व अंकित तथा अंकुर को काफी बुरी तरह से मारना पीटना जिससे वादी की पत्नी कौशिल्या की मौके पर ही मृत्यु हो गयी, के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 09/23 धारा 147, 148, 149, 302, 307, 323, 452 भादवि बनाम 1. राजकुमार पुत्र भगेलू, 2. दीपक उर्फ अमित, 3. मनीष उर्फ डम्पी, 4.

सतिस उर्फ पम्पी पुत्रगण राजकुमार 5. आशा पत्नी राजकुमार, निवासीगण बड़ौरा खुर्द थाना जहानागंज आजमगढ़ 6. अल्का (दीपक की साली) के पंजीकृत किया गया। विवेचना थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह द्वारा अमल में लायी गयी।

गिरफ्तारी का विवरणः

विवेचना के क्रम में थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. राजकुमार पुत्र भगेलु, 2. मनीष उर्फ पम्पी पुत्र राजकुमार, 3. आशा पत्नी राजकुमार, निवासीगण बड़ौरा खुर्द थाना जहानागंज आजमगढ़ 4. अल्का को भुजही पुलिया के पास से समय करीब 11.35 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया तथा बाद गिरफ्तारी अभियुक्त गण के निशानदेही पर उक्त अभियोग में प्रयुक्त आला कत्ल (एक अदद लोहे का राड व एक अदद बांस का छोटा डण्डा) अभियुक्त राजकुमार के मण्डई से बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पुछताछ विवरण— गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि साहब मेरे व मेरे विपक्षी राजेश से रास्ते का विवाद चलता है। जिससे हम लोगो की पुरानी रंजिश राजेश व उसके परिवार से है। हमारे विपक्षी राजेश हमारे आबादी के जमीन में बने करकट के घर के पास बगल में रास्ता मांगते है, जिसको लेकर कल हम लोगो से मारपीट हुई थी।

पंजीकृत अभियोगः-

1-मु0अ0सं0 09/23 धारा 147, 148, 149, 302, 307, 323, 452 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. राजकुमार पुत्र भगेलु 2. मनीष उर्फ पम्पी पुत्र राजकुमार
3. आशा पत्नी पुत्र राजकुमार निवासीगण बड़ौरा खुर्द थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
4. अल्का पुत्री उदयभान निवासी ग्राम लक्षिरामपुर थाना कोतवाली आजमगढ़

बरामदगी-

1- घटना में प्रयुक्त आला कत्ल (एक अदद लोहे का राड व एक अदद बांस का छोटा डण्डा)

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण

1- थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह मय हमराह थाना जहानागंज आजमगढ़

थाना- सरायमीर

गैंगेस्टर एक्ट में एक गिरफ्तार

दिनांक- 04.01.2023 को उ0 निरीक्षक हृदयनन्द पाठक मय हमराह द्वारा थाना सरायमीर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 286/2022 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगे0 एक्ट से सम्बन्धित गैंग लीडर अमित यादव उर्फ अमृतलाल यादव पुत्र घनश्याम यादव ग्राम नसोपुर(भानीपुर) थाना पवई जनपद आजमगढ़ उम्र 30 वर्ष को समय करीब 09.30 बजे सिकरौर बाजार थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ से गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।

1. **पंजीकृत अभियोग-** मु0अ0सं0 286/2022 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगे0 एक्ट थाना सरायमीर आजमगढ़
2. **आपराधिक इतिहास-**
   1. मु0अ0सं0 67/2017 धारा 419/420 भादवि व 60 आबकारी अधि0 थाना सरायमीर, आजमगढ़
3. **गिरफ्तार अभियुक्त-**
   1. अमित यादव उर्फ अमृतलाल यादव पुत्र घनश्याम यादव ग्राम नसोपुर(भानीपुर) थाना पवई जनपद आजमगढ़ उम्र 30 वर्ष
4. **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**
   1. उ0नि0 हृदयानन्द पाठक मय हमराह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़